



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042022-234963
CG-DL-E-08042022-234963

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1598]
No. 1598]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 7, 2022/चैत्र 17, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 2022/CHAITRA 17, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2022

का.आ. 1681(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के विज़िअनगरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं 516इ के कि.मी. 2.125 से कि.मी. 26.937 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् स्पेशल डिप्टी कलेक्टर भूमि अधिग्रहण बोर्डिली विज़िअनगरम जिला आंध्र प्रदेश को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के विज़िअनगरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं 516इ के कि.मी. 2.125 से कि.मी. 26.937 तक के भू-खण्ड के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि का संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: विज़िअनगरम			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: गंत्यदा					
गांव का नाम: गंत्यदा					
1	193-2B	निजी	आर .वेट	0.2700012(एकर)	0.1092675
2	193-3B	निजी	आर .वेट	0.1199999(एकर)	0.0485633
3	193-4B	निजी	आर .वेट	0.0499999(एकर)	0.0202347
4	206-1A	निजी	आर .वेट	0.0299999(एकर)	0.0121408
5	207-1A	निजी	आर .वेट	0.1199999(एकर)	0.0485633
6	276-5C	निजी	आर .ड्राई	0.0200000(एकर)	0.0080939
गांव का नाम: कोरलाम					
1	98-4C	निजी	आर .ड्राई	0.0099999(एकर)	0.0040469
गांव का नाम: कोटरुबिल्ली					
1	118-6A	निजी	आर .वेट	0.0200000(एकर)	0.0080939
2	119-8A	निजी	आर .ड्राई	0.0299999(एकर)	0.0121408
गांव का नाम: कोथाभेलगडा					
1	5-1	निजी	आर .ड्राई	0.0099999(एकर)	0.0040469
2	142-2A	निजी	आर .ड्राई	0.0178999(एकर)	0.0072440
3	59-13	सरकारी	एस .पोरंबोके	0.0299999(एकर)	0.0121408
गांव का नाम: माधनापुरम					
1	65-20A	निजी	आर .ड्राई	0.0800001(एकर)	0.0323756

गांव का नाम: रामावरम					
1	24-17A	निजी	आर .वेट	0.0299999(एकर)	0.0121408
तालुक का नाम: शृंगवरपुकोटा					
गांव का नाम: किलतमपलेम					
1	110-2A	सरकारी	ए डब्ल्यू डी	0.1900001(एकर)	0.0768920
2	110-4A	सरकारी	ए डब्ल्यू डी	0.0299999(एकर)	0.0121408
3	110-6A	सरकारी	ए डब्ल्यू डी	0.0200000(एकर)	0.0080939
4	114-4	सरकारी	ए डब्ल्यू डी	0.0400001(एकर)	0.0161878
5	19-1C	निजी	आर .ड्राई	0.0099999(एकर)	0.0040469
गांव का नाम: मुशिदिपल्ले					
1	1-4	सरकारी	ए डब्ल्यू डी	0.0200000(एकर)	0.0080939
2	31-3	सरकारी	एस .पोरंबोके	0.2000000(एकर)	0.0809389
गांव का नाम: तेंनुबोद्धावरा					
1	22-6A	निजी	आर .ड्राई	0.0099999(एकर)	0.0040469
कुल				1.3579	0.5495

[फा. सं. LA/vspm/A1/2018 dt. 25.10.2018/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2022

S.O. 1681(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 516E in the stretch of land from Km. 2.125 to Km. 26.937 in the VIZIANAGARAM district in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Special Deputy Collector Land Acquisition Bobbili VIZIANAGARAM district ANDHRA PRADESH in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal

practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 2.125 to Km. 26.937 NH 516E in the state of ANDHRA PRADESH.

State: ANDHRA PRADESH District: VIZIANAGARAM					
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Gantiyada					
Village: Gantiyada					
1	193-2B	Private	R.Wet	0.2700012(Acre)	0.1092675
2	193-3B	Private	R.Wet	0.1199999(Acre)	0.0485633
3	193-4B	Private	R.Wet	0.0499999(Acre)	0.0202347
4	206-1A	Private	R.Wet	0.0299999(Acre)	0.0121408
5	207-1A	Private	R.Wet	0.1199999(Acre)	0.0485633
6	276-5C	Private	R.Dry	0.0200000(Acre)	0.0080939
Village: Korlam					
1	98-4C	Private	R.Dry	0.0099999(Acre)	0.0040469
Village: Kotarubilli					
1	118-6A	Private	R.Wet	0.0200000(Acre)	0.0080939
2	119-8A	Private	R.Dry	0.0299999(Acre)	0.0121408
Village: Kothavelagada					
1	5-1	Private	R.Dry	0.0099999(Acre)	0.0040469
2	142-2A	Private	R.Dry	0.0178999(Acre)	0.0072440
3	59-13	Government	S.Poramboke	0.0299999(Acre)	0.0121408
Village: Madhanapuram					
1	65-20A	Private	R.Dry	0.0800001(Acre)	0.0323756
Village: Ramavaram					
1	24-17A	Private	R.Wet	0.0299999(Acre)	0.0121408
Taluk: Srungavarapukota					
Village: Kiltampalem					
1	110-2A	Government	AWD	0.1900001(Acre)	0.0768920
2	110-4A	Government	AWD	0.0299999(Acre)	0.0121408
3	110-6A	Government	AWD	0.0200000(Acre)	0.0080939
4	114-4	Government	AWD	0.0400001(Acre)	0.0161878
5	19-1C	Private	R.Dry	0.0099999(Acre)	0.0040469

Village: Mushidipalle					
1	1-4	Government	AWD	0.0200000(Acre)	0.0080939
2	31-3	Government	S.Poramboke	0.2000000(Acre)	0.0809389
Village: Tennuboddavara					
1	22-6A	Private	R.Dry	0.0099999(Acre)	0.0040469
Total				1.3579	0.5495

[F. No. LA/vspm/A1/2018 dt. 25.10.2018/3A]

RAJESH GUPTA, Director